10 दिल्ली, 2 जुलाई 2004

नवभारत टाइम्स

बहस

ईपीएफ की उलझन

हमारा मत है कि ईपीएफ की ब्याज दर सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए समान ही रखी जानी चाहिए।

कर्मचारी प्रोविडेंट फंड, यानी ईपीएफ की ब्याज दर को लेकर नई सरकार पशोपेश में दिखाई देती है। वह 9.5 की वर्तमान दर को कम करना तो चाहती है, पर तय नहीं कर पा रही कि कितना कम करे। कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ईपीएफ की वर्तमान दर बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस फंड के निवेश पर कहीं से भी 8 प्रतिशत से अधिक ब्याज नहीं प्राप्त हो रहा। ऐसी स्थिति में सरकार इस दर को खुद नुकसान झेल कर ही बरकरार रखे हुए थी। अब यह सुनने में आया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इस समस्या से निपटने के लिए दो तरह की ईपीएफ दरों पर विचार कर रहा है। नए प्रस्ताव के मुताबिक 3 करोड़ ईपीएफ खाताधारियों में से जिनके फंड में 20 हजार से कम की धनराशि जमा है, उन्हें 9.5 की वर्तमान दर से ही ब्याज दिया जाए, मगर जिनकी जमा राशि इससे अधिक हो, उन्हें 8 फीसदी की दर से ब्याज मिले।

❖

प्रतिसंपादकीय/ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फाइनेंस के अध्यक्ष **जे. डी. अग्रवाल** का कहना है कि ईपीएफ से छेड़छाड़ करने के पहले सरकार को बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए।

हमारा देश सामाजिक सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं खर्च करता। करोड़ों कर्मचारियों के पास ईपीएफ ही एकमात्र साधन है। या तो हमारी सरकार अमेरिकी और यूरोपीय सरकारों की तरह सामाजिक सुरक्षा के नाम पर पैसा खर्च करती। यदि वह ऐसा नहीं करती है तो उसे थोड़ा नुकसान उठाकर ईपीएफ की दर बरकरार रखनी चाहिए। उसे 3-4 सौ करोड़ का ही तो नुकसान उठाना होगा। वह चाहे तो ईपीएफ की दर 5 फीसदी कर दे, परंतु तब उसे सामाजिक सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेनी होगी। इस दर को दो हिस्से में बांटने का प्रस्ताव बहुत संकीर्ण प्रतीत होता है। अब समय आ चुका है कि हमारी सरकार को सीनियर सिटिजनों को सम्मानपूर्वक जीने की सुविधाएं देनी चाहिए, क्योंकि नई पीढ़ी पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि नई पीढ़ी के दिमाग में यह बात बैठ जाए कि अपने बुढ़ापे की व्यवस्था उसे खुद ही करनी होगी, तो वह अधिक से अधिक पैसा बनाने की खातिर अपराध के रास्तों पर भी जा सकती है।